अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सहरसा

योजनाओं का विस्तृत विवरणी एवं उपलब्धियाँ :–

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत विवरणी इस प्रकार हैः–

1. **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :–**

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक(विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग– 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता था।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा– 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान निम्नांकित दर पर एकमुश्त किए जाने का प्रावधान हैः–

क्र0 सं0	वर्ग	छात्रवृत्ति की दर (वार्षिक)
1	कक्षा–I से IV	रू 600/–
2	कक्षा–V से VI	रू0 1200/–
3	कक्षा–VII से X	रू0 1800/–
4	कक्षा I से X तक (छात्रावासी)	रू0 3000/–

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 71,72,033 छात्र/छात्राओं के बीच कुल राशि रू0 8,09,77,06,800/– वितरित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में अबतक 56,18,656 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत विगत वर्षों में स्वीकृत/आवंटित राशि एवं लाभान्वितों की विवरणी:–

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (₹ लाख में)			लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
		राज्य योजना	केन्द्र प्रायोजित (50:50) योजना	योग	
1	2006–07	1622.00	200.00	1822.00	3,16,594
2	2020–21	106595.00	2390.00	108985.00	1,00,98,515
3	2021–22*	188773.17	1669.00	190442.17	98,43,517
4	2022–23	101400.00	6331.00	107731.00	71,72,033
5	2023–2024	92700.00	00	92700.00	56,18,656**
6	2024–2025	87500.00	00	87500.00	–

* वर्ष 2020–21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।

** वितरण प्रक्रिया जारी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के तहत प्रारंभ की गयी ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में अबतक ₹ 87500.00 लाख की स्वीकृति दी गयी है तथा इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल ₹ 88064.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

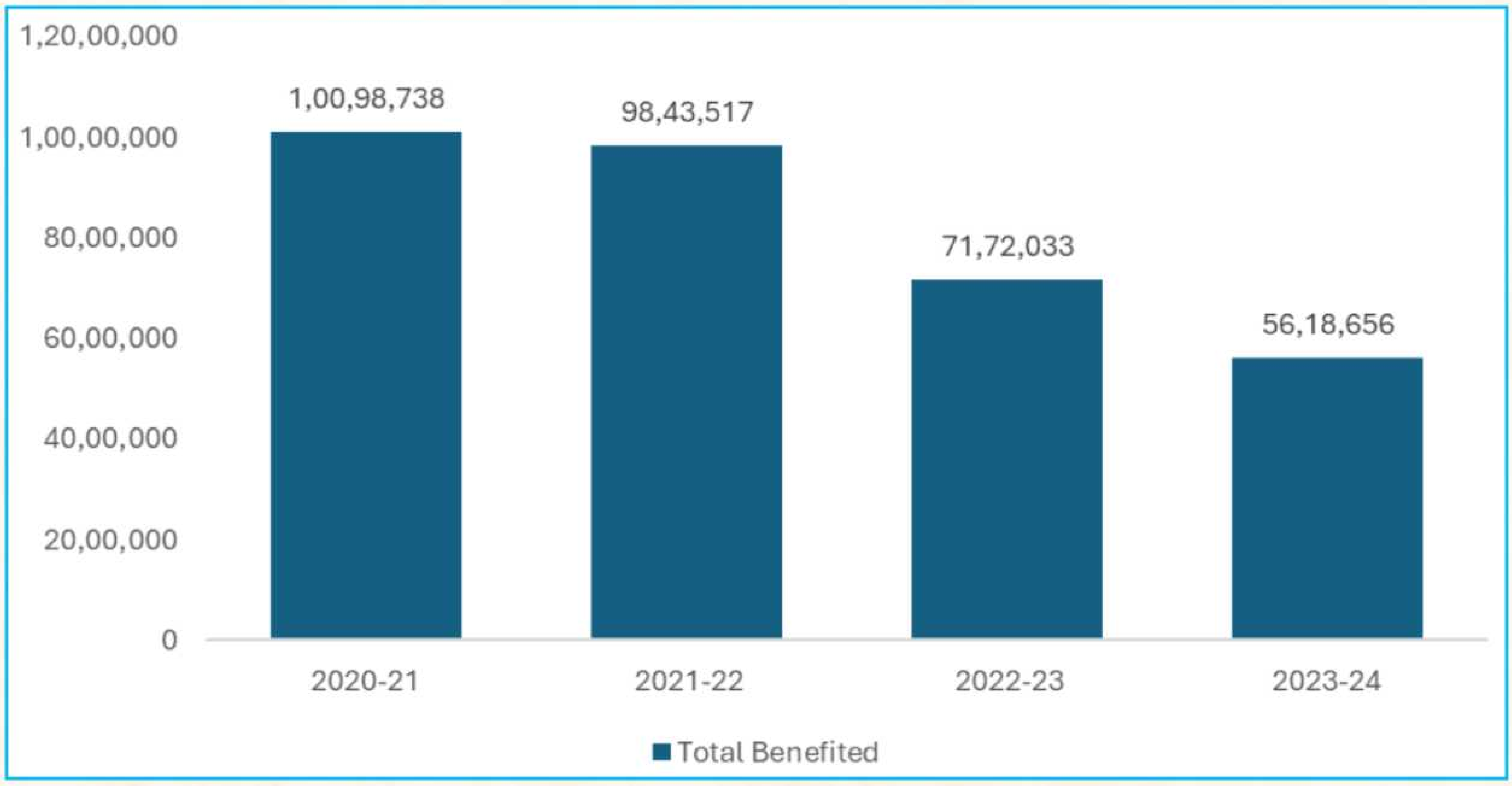

कक्षा–09 में अध्ययनरत छात्राएँ

2. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023ः–

इस योजना के तहत वर्ग–11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा/डिग्री स्तर का मेडिकल/इंजीनियरिंग/ प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या–1385, दिनांक–25.08.2021 द्वारा स्वीकृत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' को वित्तीय वर्ष 2022–23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा, जिनका स्वयं की आय सहित माता–पिता /अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु0 3,00,000/– (रु0 तीन लाख) मात्र रुपए से अधिक नहीं हो, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

विगत वर्षों में स्वीकृत/आवंटित राशि एवं लाभान्वितों की विवरणीः—

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (₹ लाख में)			लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
		राज्य योजना	केन्द्र प्रायोजित (100%) योजना	योग	
1	2009—10	1000.00	1522.00	2522.00	75,483
2	2020—21	20265.00	5699.00	25964.00	3,05,614
3	2021—22*	40265.00	6891.00	47156.00	5,02,507
4	2022—23	20038.75	9171.00**	29209.75	2,72,130
5	2023—24	25205.00	—	25205.00	2,05,774
6	2024—25	22678.00	—	22678.00	

* वर्ष 2020—21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।

** राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021—22 एवं पूर्व के वर्षों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2025—26 में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 हेतु ₹ 23500.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

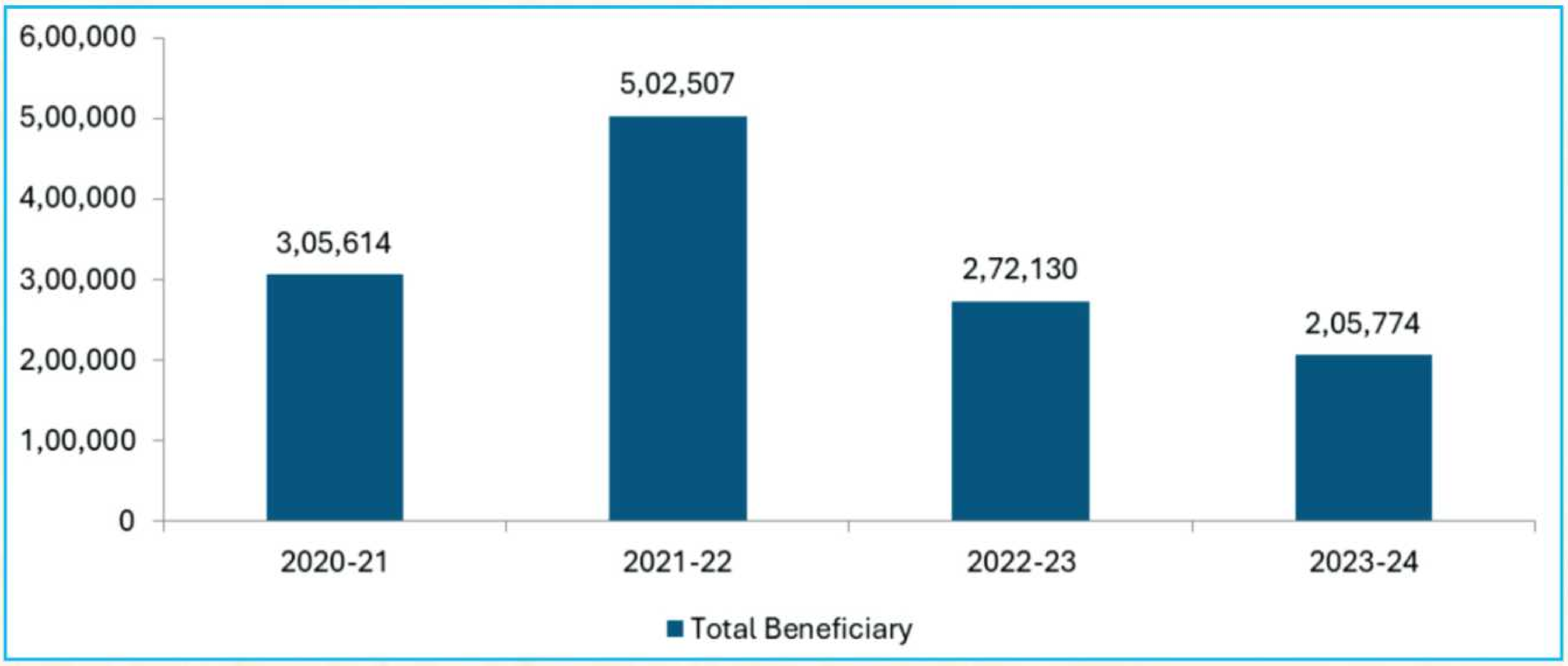

माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक

3. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :–

राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र / छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को प्रति छात्र / छात्रा ₹10,000 / – (रूपए दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

इस योजनान्तर्गत विभिन्न वर्षों में व्यवहृत राशि एवं लाभान्वित छात्र / छात्राओं की संख्या निम्नवत है :–

वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (राशि लाख ₹ में)	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
2008—09	1067.00	10,670
2020—21	13845.00	1,06,143
2021—22	26569.60*	1,01,503**
2022—23	11334.00	1,04,374
2023—24	13271.60	1,04,986
2024—25	16218.00	1,09,331***

* वित्तीय वर्ष 2020—21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।
** वित्तीय वर्ष 2021—22 में आवंटित राशि से लाभान्वितों की संख्या।
*** वित्तीय वर्ष 2024—25 में वितरण प्रक्रिया जारी है।

वित्तीय वर्ष 2025—26 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत ₹14500.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

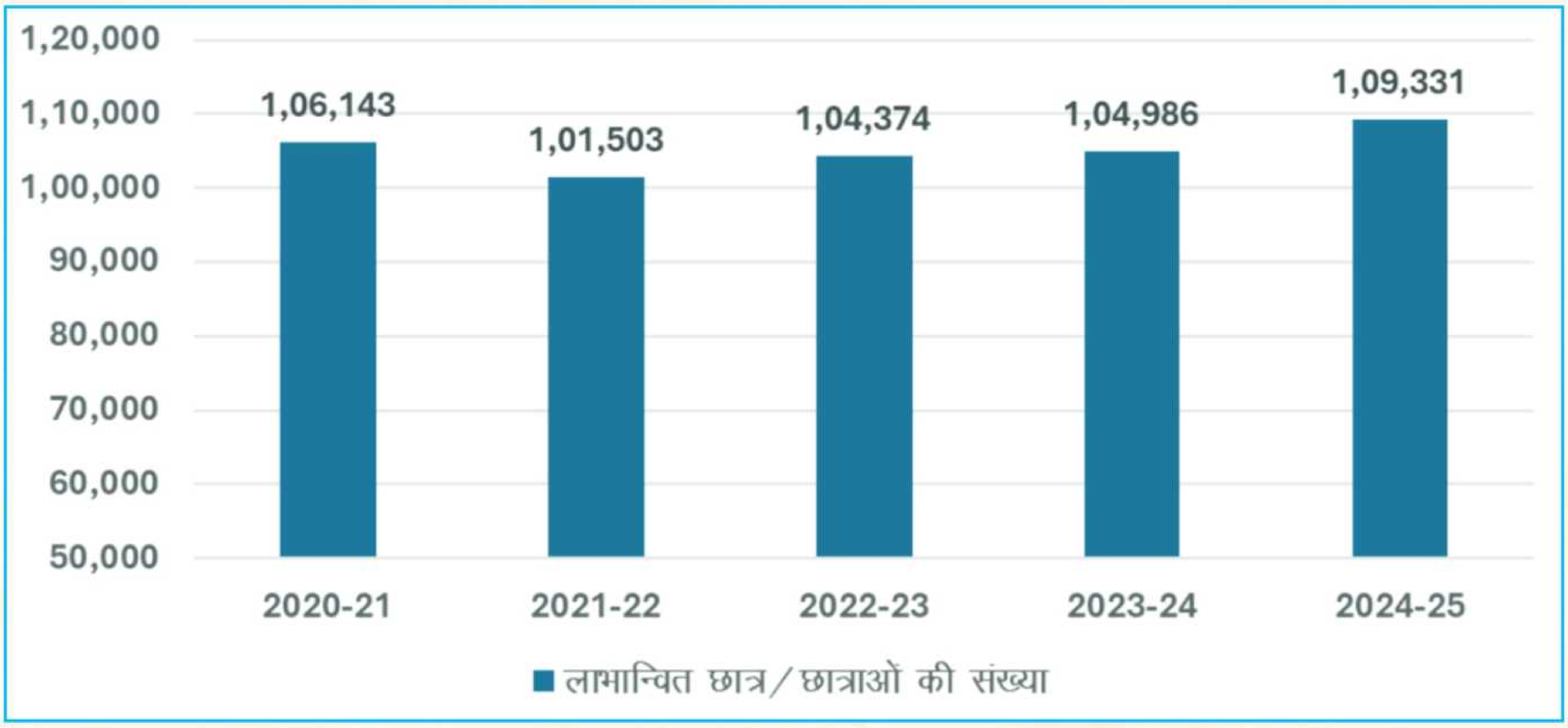

4. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :—

राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015—16 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले एवं बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/— (रूपए एक लाख पचास हजार) मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र ₹10,000/— मात्र एकमुश्त

वृत्तिका दी जाती है। पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को यह राशि शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है।

इस योजनान्तर्गत स्वीकृत/आवंटित राशि एवं लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्नवत हैः—

वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (राशि लाख रू0 में)	लाभान्वित छात्रों की संख्या
2015—16	6747.90	59,342
2020—21	8455.00	75,553*
2021—22	19130.40*	75,086**
2022—23	9585.70	81,598
2023—24	9987.10	75,487
2024—25	16217.70	77,069***

* वित्तीय वर्ष 2020—21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।
** वित्तीय वर्ष 2021—22 में आवंटित राशि से लाभान्वितों की संख्या।
*** वित्तीय वर्ष 2024—25 में वितरण प्रक्रिया जारी है।

वित्तीय वर्ष 2025—26 में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत ₹13149.80 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

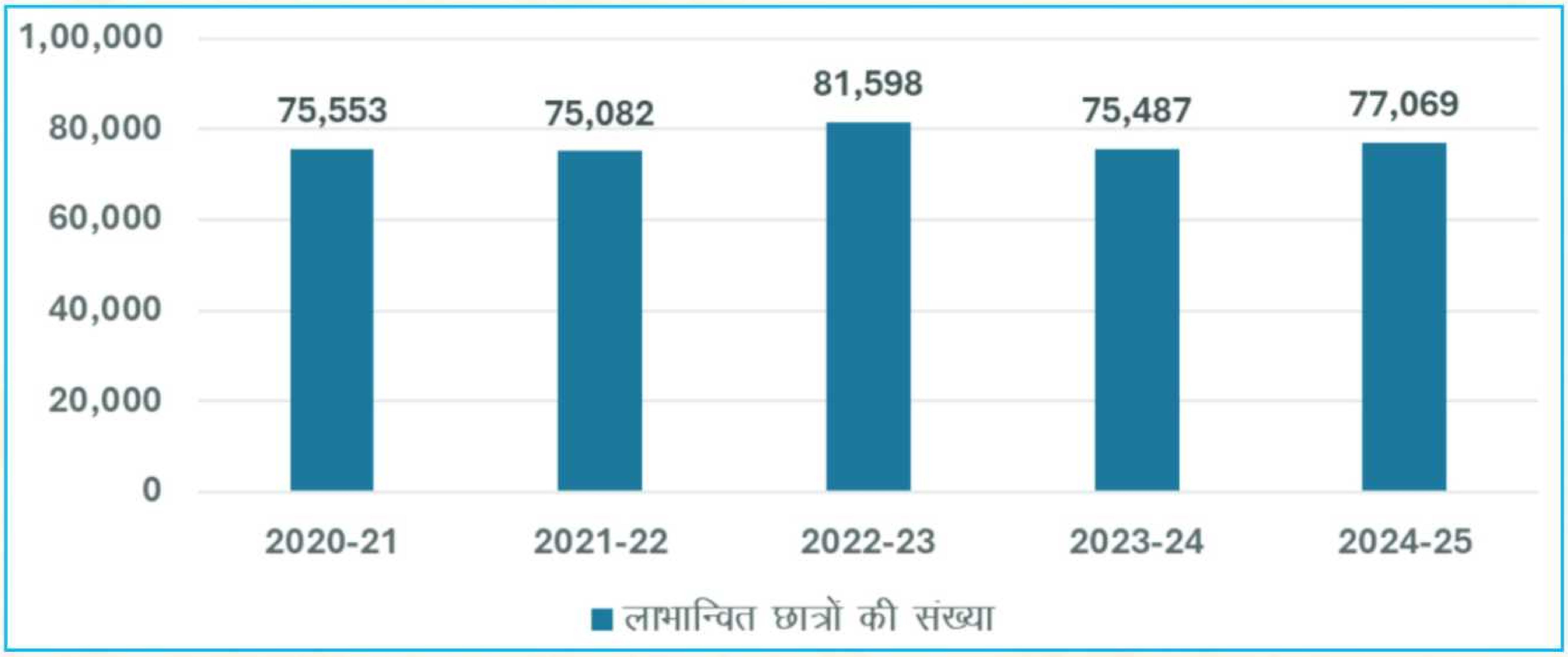

5. परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :—

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसके निमित्त विभिन्न वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित राशि जिला पिछड़ा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना को आवंटित की गई हैः—

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (₹ लाख में)
1	2006–07	5.50
2	2007–08	10.00
3	2008–09	10.00
4	2009–10	20.00

वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2024–25 तक परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रति वित्तीय वर्ष ₹ 25.00 लाख राशि का बजटीय प्रावधान करते हुए राशि आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए योजनान्तर्गत ₹ 25.00 लाख उद्व्यय प्रावधान किया गया है।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय :–

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए पूर्व से 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित थी, जिनमें वर्ग–6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में 520 आवासन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के आलोक में पूर्व से 11 जिलों में संचालित कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 से शेष 27 जिलों में भी 1–1 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का संचालन शुरू किया गया है। सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का स्वीकृत छात्रबल प्रति विद्यालय 520 है। वर्तमान में कुल 5770 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। अबतक 37 जिलों में 520 आवासन वाले कुल–38 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । 15 आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। दरभंगा जिला में 280 आवासन वाले आवासीय विद्यालय भवन निर्मित है। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क आवासन, भोजन, पाठ्यपुस्तक, वस्त्र आदि प्रदान किया जाता है।

सभी नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रयोगशाला के अधिष्ठापन तथा स्मार्ट क्लास की स्वीकृति दी गयी है।

वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों की सूची

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम एवं स्थान
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मोकर, रोहतास (सासाराम)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पूर्णियाँ (बच्चा जेल के नजदीक बैधनाथ छात्रावास के कैम्पस में)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कल्याणपुर, समस्तीपुर
4	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मुंगेर
5	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मोकामा, शिवनार पेट्रोल पम्प के पास पटना
6	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, सिवान (दरभंगा में संचालित)

7	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर, बिहार विश्वविद्यालय कैम्पस, मुजफ्फरपुर
8	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पार्क रोड, कदमकुँआ, पटना।
9	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय,गोपालगंज (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, अरना, गोपालगंज में संचालित)
10	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, विनोवानगर, गया
11	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, औरंगाबाद (एस0सी0 वि0 नवादा में संचालित)
12	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, किशनगंज (पूर्णियाँ में संचालित)
13	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बाढ़ पोखर, दरभंगा
14	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कल्याण छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर, छपरा
15	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मधुबनी (दरभंगा में संचालित)
16	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय,सहरसा (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, सहरसा में संचालित)
17	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय,लखीसराय (एकलव्य मोडल वि0, जमुई में संचालित)
18	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, अरवल (रोहतास में संचालित)
19	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, सुपौल (एस0सी0 वि0 त्रिवेणीगंज, सुपौल में संचालित)
20	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, नवादा (एस0सी0 वि0 नवादा में संचालित)
21	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, शिवहर (एस0टी0 वि0, धमौरा, प0चम्पारण में संचालित)
22	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय,शेखपुरा (अभ्यास मध्य वि0, शेखपुरा में संचालित)
23	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बाँका (एस0सी0 वि0 बाँका में संचालित)
24	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, खिरनी घाट, खंजरपुर, भागलपुर
25	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, वैशाली (समस्तीपुर में संचालित)
26	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, खगड़िया (एस0सी0 वि0 मुरलीगंज, मधेपुरा में संचालित)
27	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, अररिया (पूर्णियाँ में संचालित)
28	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कटिहार (पूर्णियाँ में संचालित)

29	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बक्सर (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, बक्सर में संचालित
30	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, कैमूर (रोहतास में संचालित)
31	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, नालंदा (एस0सी0 वि0 राजगीर नालंदा में संचालित)
32	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भोजपुर (रोहतास में संचालित)
33	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मधेपुरा (एस0सी0 वि0 मुरलीगंज, मधेपुरा में संचालित)
34	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, जहानाबाद (एस0सी0 वि0 काको, जहानाबाद में संचालित)
35	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पूर्वी चम्पारण (एस0टी0 वि0, बगहा, प0चम्पारण में संचालित)
36	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पश्चिमी चम्पारण (एस0टी0 वि0, बगहा, प0चम्पारण में संचालित)
37	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, सीतामढ़ी (एस0टी0 वि0, धमौरा, प0चम्पारण में संचालित)
38	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बेगूसराय (समस्तीपुर में संचालित)
39	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, जमुई (एकलव्य मोडल वि0, आस्ता जमुई में संचालित)

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का उद्घाटन

सभी विद्यालयों में भवनों को 520 आवासन के अनुरूप निर्मित/विस्तारित करने की संकल्पना के तहत 4 जिलों यथा–रोहतास, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं सारण में विद्यालय हेतु ₹25.64 करोड़ मात्र की दर से कुल ₹102.56 करोड़ की राशि से वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से युक्त आधारभूत संरचना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं रोहतास में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–44, दिनांक–25.08.2021 के द्वारा राज्य के 03 जिलों यथा–गया, भागलपुर एवं सहरसा में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवनों (520 आवासन) के अनुरूप निर्माण हेतु ₹37.8949 करोड़ मात्र की दर से कुल ₹113.6847 करोड़ (रू0 एक सौ तेरह करोड़ अड़सठ लाख सैतालिस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–66, दिनांक–29.12.2021 के द्वारा राज्य के 09 जिलों में 10 यथा–पटना (बिहटा एवं अथमलगोला), मुंगेर, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, जमुई, किशनगंज, औरंगाबाद, बाँका एवं नालंदा जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवनों (520 आवासन) के अनुरूप निर्माण हेतु ₹37.89 करोड़ मात्र की दर से कुल ₹378.90 करोड़ (रू0 तीन सौ अठहत्तर करोड़ नब्बे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के 12 जिलों यथा–कैमूर, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आवासन वाले एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के अनुसार प्रति विद्यालय रू0 46,35,28,000/– (छियालीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार) मात्र की दर से कुल लागत रू0 5,56,23,36,000/– (पाँच सौ छप्पन करोड़ तेईस लाख छत्तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 09 जिलों यथा–अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला में 520 आवासन वाले एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार 37 जिलों में 520 आवासन वाले कुल 38 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। दरभंगा जिला में 280 आवासन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय भवन निर्मित है। अबतक 520 आवासन वाले कुल–15 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24 दिनांक–19.03.2021 के आलोक में सभी आवासीय कन्या उच्च विद्यालयों में छात्राओं को भोजन, पठन–पाठन सामग्री, पुस्तकालय तथा तेल–साबुन इत्यादि के लिए निम्न दर पर सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैंः–

मद	वर्तमान दर (₹ में)
भोजन	1610/– प्रतिमाह प्रति छात्रा
विशेष भोजन	150/– वर्ष में चार–बार प्रति छात्रा
वस्त्र	2630/– वार्षिक प्रति छात्रा
व्यवसायिक	890/– प्रति वर्ष प्रति छात्रा
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	890/– प्रति वर्ष प्रति छात्रा
तेल, सोडा, साबुन	130/– प्रति छात्रा प्रतिमाह
पठन–पाठन सामग्री	1540/– प्रति छात्रा प्रति वर्ष
सफाई मद	श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी के दर पर
दवा	150/– प्रति छात्रा प्रति माह–10 माह के लिए
परिवहन	960/– प्रतिमाह प्रति संस्थान (280 आवासन के लिए)
किरासन तेल	डीजल–4.5 लीटर प्रतिघंटा।
दैनिक समाचार, पत्र पत्रिका	6500/–रू0 प्रति वार्षिक प्रति संस्थान
खेल–कूद	14280/– रू0 वार्षिक
पुस्तकालय	10780/– रू0 वार्षिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी इत्यादि	21410/– वार्षिक
सुरक्षा गार्ड	श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी के दर पर प्रति विद्यालय 3 गार्ड (8 घंटे प्रति गार्ड) 1 वर्ष के लिए

विभागीय संकल्प संख्या–1769 दिनांक–21.11.2024 के द्वारा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से निम्न दर पर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है :–

क्र0 सं0	शीर्ष	दर प्रति विद्यार्थी	
1	भोजन	99 रू0 प्रतिदिन	
2	साफ–सफाई	11 रू0 प्रतिदिन	
3	**पोशाक की आपूर्ति**	**कक्षा (6 से 8) (2 सेट के लिए)**	**कक्षा (9 से 12) (2 सेट के लिए)**
		1150 रू0 प्रति छात्रा	1400 रू0 प्रति छात्रा
4	**पोशाक की धुलाई**	लाउण्ड्री के लिए रुपये 30/–(रुपये तीस) मात्र प्रति किलोग्राम (Consumables सहित) का दर अनुमान्य होगा। इसके लिए एक सप्ताह में एक बार चार सेट पोशाक एवं एक चादर (तकिया–गिलाफ सहित) अधिकतम अनुमान्य होगा।	

प्रत्येक बालिका को चार सेट पोशाक देय है।

पोशाक के क्रय हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24 दिनांक– 19.03.2021 द्वारा तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र हेतु DBT के लिए निर्धारित दर रू0 7500/–(सात हजार पाँच सौ रूपया) प्रति छात्रा प्रति वर्ष में से पोशाक की राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष अंतर राशि निम्न प्रकार से छात्राओं को डी0बी0टी0 किया जायेगा:–

क्र0 सं०	मद	कक्षा (6 से 8)		कक्षा (9 से 12)	
		पोशाक की राशि (4 सेट)	डी0बी0टी0 की राशि	पोशाक की राशि (4सेट)	डी0बी0टी0 की राशि
1.	बालिका	रू0 2300/–प्रति छात्रा	रू0 5200/– प्रति छात्रा	रू0 2800/–प्रति छात्रा	रू0 4700/– प्रति छात्रा

तदानुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–24 दिनांक– 19.03.2021 के द्वारा निर्धारित भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा के कार्य से संबंधित दर को इस हद तक संशोधित किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, समस्तीपुर के विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशिक्षणरत छात्राएँ

7. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना:–

वित्तीय वर्ष 2008–09 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आवासन वाले ''जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना'' के अंतर्गत छात्रावास निर्माण कराने की योजना प्रारंभ की गयी है। इन छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खेलकूद सामग्री, खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय–सह–डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

राज्य के सभी जिलों में 100 आवासन क्षमता वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों की सूची

क्र0सं0	जिला का नाम	छात्रावास का पता	संचालन की स्थिति
1	2	3	4
1	नालंदा	राणाविगहा (सिपाह मोड़) दीपनगर थाना के पीछे, बिहारशरीफ, नालंदा	संचालित
2	मधुबनी	S.B.I. मेन ब्रान्च के बगल में, मधुबनी	संचालित
3	शेखपुरा	मखदुमपुर अभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा के निकट, शेखपुरा	संचालित
4	कटिहार	सूर तुलसी कॉलेज, कटिहार	संचालित
5	भागलपुर	टी0एन0बी0 कॉलेज के दक्षिण छोर	संचालित
6	गया	कपिलधारा, माड़नपुर, गया	संचालित
7	किशनगंज	फुलबाड़ी, मारवाड़ी कॉलेज के पीछे, किशनगंज	संचालित
8	जहानाबाद	गाँधी स्मारक इण्टर स्तरीय विद्यालय के कैम्पस में, मलहचक, एरोड्राम रोड, जहानाबाद	संचालित
9	सुपौल	एस0डी0एस0के0बी0 +2 उच्च विद्यालय, हरदी, सुपौल	संचालित
10	जमुई	इन्दपै, जमुई	संचालित
11	बेगूसराय	श्री श्री 108 एम0आर0जे0 डी0 इन्टर कॉलेज, बेगूसराय	संचालित
12	मुंगेर	हाजी सुजान, मुंगेर	संचालित
13	पूर्णिया	बी0बी0 एम0 उच्च विद्यालय भट्टा बाजार, पूर्णियाँ	संचालित
14	मधेपुरा	मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा	संचालित
15	बक्सर	कला भवन बक्सर के सामने	संचालित
16	बाँका	लक्ष्मीपुर, बांका	संचालित
17	कैमूर	सुअरा नदी के पश्चिम तट पर, भभुआ।	संचालित
18	अररिया	अररिया आर0एस0, अररिया	संचालित
19	सीतामढ़ी	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी के बगल में।	संचालित
20	सहरसा	पटुआहा, सहरसा	संचालित
21	छपरा	विष्णुपुरा, छपरा	संचालित
22	अरवल	चिड़ियॉटाड़, अरवल	संचालित
23	पू0 चम्पारण	लुअठाहाँ, पू0 चम्पारण	संचालित
24	औरंगाबाद	कर्मा भगवान, औरंगाबाद	संचालित
25	पश्चिम चम्पारण	रामलखन सिंह यादव कॉलेज, बेतिया के कैंपस में।	संचालित
26	गोपालगंज	सरैया, गोपालगंज	संचालित
27	मुजफ्फरपुर	सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर	संचालित
28	रोहतास	महिला कॉलेज, रोहतास	संचालित
29	भोजपुर	एस०एस० कॉलेज, भोजपुर	संचालित
30	पटना	लोहानीपुर, पटना	संचालित
31	नवादा	बुधौल, बस स्टैंड के बगल में	संचालित
32	वैशाली	अक्षयवट महाविद्यालय, महुआ प्रखंड, महुआ वैशाली	संचालित
33	समस्तीपुर	सुंदर उच्च विद्यालय के निकट, समस्तीपुर (मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के पास)	संचालित
34	दरभंगा	सुन्दरपुर वेला, दरभंगा सदर	संचालित
35	लखीसराय	खगौर, लखीसराय	संचालित
36	शिवहर	श्री नबाब उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय षिवहर के प्रागंण में।	संचालित
37	सीवान	जसौली, प्रखंड पंचरूखी,सीवान	संचालन प्रकियाधीन
38	खगड़िया	NH -31 पंचायत रहीमपुर उत्तरी खगडिया प्रखण्ड (दुर्गापुर ढ़ाला के पास)	संचालन प्रकियाधीन

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम के तहत पटना जिलान्तर्गत निर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन में जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी एवं उच्च कोटि के पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना, डिजिटल अध्ययन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित कराना है। यह एक राज्य स्तरीय केन्द्र है। जहाँ ऑफलाईन कक्षा के साथ–साथ पूरे राज्य में अवस्थित छात्रावासों/आवासीय विद्यालय/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में ऑनलाईन कक्षा के प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, खगड़िया

8. **अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासः–**

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय–सह–डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में 20 जिलों में कुल 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित है।

पूर्व से 24 जिलों में निर्मित 27 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के 8 जिलों में 100 आवासन क्षमता वाले कुल 10 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 7 जिलों में एक–एक 100 आवासन क्षमता वाले अर्थात कुल 7 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य राज्य योजना से व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार इस योजना से राज्य के सभी जिलों को आच्छादित कर दिया गया है। सहरसा, नवादा (बुधौल एवं रजौली), बक्सर, पूर्णियॉ, नालंदा एवं गोपालगंज में छात्रावास का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है।

वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की सूची

क्र0 सं0	जिला का नाम	पता
1	शेखपुरा	1. आर.डी.कॉलेज परिसर, शेखपुरा
2	कटिहार	2. के0बी0झा0 कॉलेज
		3. डी0एस0 कॉलेज
3	भागलपुर	4. टी0एन0बी0 कॉलेज
		5. बालिका कल्याण छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर
4	किशनगंज	6. +2 उच्च विद्यालय के पीछे, डे–मार्केट, किशनगंज
5	जहानाबाद	7. एस.एस.कॉलेज, धनगावाँ, जहानाबाद
6	सुपौल	8. बी.एस.एस.कॉलेज परिसर, किशनपुर रोड, सुपौल
7	जमुई	9. के.के.एम.कॉलेज कैंपस, जमुई
8	बाँका	10. आर0एम0के0 इन्टर स्तरीय उच्च विद्यालय के परिसर में, बाबूटोला, बाँका
9	पूर्वी चम्पारण	11. एम0एस0 कॉलेज परिसर, अम्बिका नगर, मोतिहारी, पू0 चंपारण
10	रोहतास	12. मोकर,रोहतास
11	पटना	13. अब्दुल कयूम अंसारी छात्रावास, एन0आई0टी0 मोड़, रानीघाट, पटना
12	वैशाली	14. देवचंद महाविधालय परिसर, महुआ रोड, वैशाली
13	मधेपुरा	15. शिवनंदन प्रसाद मंडल उच्च विद्यालय, मधेपुरा के परिसर में, वार्ड नं0–20 नगर परिषद, मधेपुरा
14	खगड़िया	16. कोशी कॉलेज के परिसर में, खगड़िया
15	दरभंगा	17. बी0एम0सी0 छात्रावास।
		18. राज उच्च विद्यालय परिसर।
16	समस्तीपुर	19. यू0 आर0 कॉलेज, रोसड़ा
17	कैमूर	20. महराणा प्रताप कॉलेज के परिसर में मोहनिया, कैमूर
18	मुंगेर	21. आर0डी0एण्ड डी0जे0 कॉलेज परिसर, मुंगेर
19	बेगूसराय	22. बी0पी0इंटर कॉलेज परिसर, काली स्थान के पास बेगूसराय
20	भोजपुर	23. वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर, जीरो माईल, आरा

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, बक्सर

9. **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाः–**

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018–19 से किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त ₹50,000/–(रूपये पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/– (रूपये एक लाख) का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 में विभागीय संकल्प संख्या–155, दिनांक–24.01.2024 के द्वारा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को विस्तारित करते हुए इस योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा अयोग नई दिल्ली, केन्द्रीय चयन आयोग, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई0बी0पी0एस0, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षाओं में उतीर्ण होने वाले राज्य के अंत्यत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

''मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना'' के तहत वर्तमान में सम्मिलित बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के अतिरिक्त निम्नांकित प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण दी गयी है :–

प्रतियोगी परीक्षा का नाम	प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान का नाम	प्रोत्साहन राशि (राशि रू0 में)
संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से अतिरिक्त आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा यथा– (a) भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service), (b) भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service), (c) भारतीय सांख्यिकी सेवा (Indian Statistical Service) (d) संयुक्त भू–वैज्ञानिक (Combined Geo-Scientist) इत्यादि	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	75,000 / –
संयुक्त रक्षा सेवा (CDS), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) (Dy.S.P.), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (central armed police Force), इत्यादि	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000 / –
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), एवं नौसेना अकादमी (Naval Academy) की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000 / –
बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	50,000 / –
अन्य राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग	50,000 / –
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ग्रेड–बी की प्रारंभिक परीक्षा / भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी (Bank Probationary Officer) की प्रारंभिक परीक्षा / भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer) की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / बैंकिग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection -IBPS) / भारतीय जीवन बीमा निगम	30,000 / –
संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा	केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली	30,000 / –
विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड	30,000 / –

अब तक मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 6170 छात्र / छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष	बी0पी0एस0सी0 (PT) परीक्षा उत्तीर्ण लाभुकों की संख्या	यू0पी0एस0सी0 (PT) परीक्षा उत्तीर्ण लाभुकों की संख्या	कुल
2018–19	618	59	677
2019–20	2418	19	2437
2020–21	383	11	394
2021–22	882	24	906
2022–23	1217	30	1247
2023–24	206	48	254
	234	0	234
2024–25	0	21	21
योग	5958	212	6170

अबतक लाभान्वित अभ्यर्थियों में से बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में क्रमशः 911 अभ्यर्थी एवं 20 अभ्यर्थी सफल हुए हैं तथा अंतिम रूप से उक्त दोनों परीक्षाओं में क्रमशः 391 एवं 16 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹2000.00 लाख का उद्व्यय प्राप्त है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में विज्ञान दिवस का आयोजन

10. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजनाः–

इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018–19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खेलकूद सामग्री, खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय–सह–डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान की आवश्यकता को देखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/– (रूपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत औसतन पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹840.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

11. छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजनाः–

इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018–19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खेलकूद सामग्री खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय–सह–डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए देय सुविधाओं में बढ़ोतरी की आवश्यकता को देखते हुए इस नई योजना की शुरूआत की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्नों की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी योजना–2016 के तहत की जाती है। योजनान्तर्गत औसतन पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।

12. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना :–

यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0/बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य स्कीम मद में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के आठ जिलों यथा– (1) पटना, (2) गया, (3) मुजफ्फरपुर, (4) भागलपुर, (5) दरभंगा, (6) छपरा (7) आरा एवं (8) मधेपुरा में स्वीकृत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के अन्य सात जिलों यथा– (1) पूर्णियाँ (2) सहरसा (3) मुंगेर (4) मधुबनी, (5) वैशाली (हाजीपुर) (6) पूर्वी चम्पारण एवं (7) पश्चिमी चम्पारण में एक–एक नए प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 23 अन्य जिलों में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना से सभी जिलों को आच्छादित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या–2735 दिनांक–13.12.2022 के द्वारा योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों के तहत छात्र/छात्रा (अभिभावक सहित सभी स्त्रोतों को मिलाकर) की वर्तमान वार्षिक आय

अधिसीमा रूपया 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र को बढ़ाकर रूपया 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) मात्र किये जाने तथा अरवल एवं शिवहर में स्वीकृत प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र को पटना एवं नालंदा में पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय अंतर्गत संस्थान में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में डिजिटल अध्ययन की व्यवस्था एवं सामग्रियों के क्रय हेतु अनावर्ती व्यय के रूप में अनुमानित कुल राशि रू0 95.00 लाख (रू0 पंचानवे लाख) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विभागीय संकल्प संख्या– 2443 दिनांक–10.11.2023 द्वारा राज्य स्कीम के तहत संचालित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य पुस्तक के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि रू० 3,000/– की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान में सभी संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल–4560 छात्र/छात्रा नामांकित है। वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 में उक्त केन्द्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से क्रमशः 289, 310 तथा 230 अर्थात कुल–829 छात्र/छात्रा संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हुए हैं।

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

वर्ष	संचालित केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		
		पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	कुल
2016	7	137	166	303
2017	15	631	863	1,494
2018	15	619	753	1,372
2019	26	1,318	1,470	2,788
2020	26	1,345	1,436	2,781
2021	34	1589	1,834	3,423
2022	36	1,514	2,226	3,740
2023	37	1,536	2,270	3,806
2024	38	1,585	2975	4,560
2025	38	1,825	2,735	4,560
कुल		**12,099**	**16,728**	**28,827**

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्रमांक	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	केन्द्र का पता
1	पटना	मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान, कृष्णा कुंज, कृष्णा घाट, पटना विश्वविद्यालय, पटना– 800005
2	मुजफ्फरपुर	स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, डॉ0 बी0आर0अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर–842001
3	गया	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया– 824234
4	छपरा	राम जयपाल कॉलेज, छपरा– 841301
5	दरभंगा	बंगला संख्या–11, रेडियो स्टेशन रोड, आयकर चौक के निकट, दरभंगा – 846004
6	भागलपुर	एन0आर0सेन्टर, ओल्ड पी0जी0 कैम्पस, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर – 812007
7	आरा (भोजपुर)	स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा – 802301
8	मधेपुरा	पुरानी स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा – 852113
9	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ कॉलेज, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय परिसर, पूर्णियाँ 854301
10	सहरसा	एम0एल0टी0 कॉलेज, सहरसा – 852201
11	मुंगेर	आर0डी0 एण्ड डी0जे0 कॉलेज, मुंगेर – 811201
12	मधुबनी	रामकृष्ण कॉलेज, मधुबनी – 847229
13	हाजीपुर(वैशाली)	जमुनी लाल कॉलेज, हाजीपुर (वैशाली)–844101
14	मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)	मुंशी सिंह कॉलेज,पोस्ट चाँदमारी, मोतिहारी (पू०चम्पारण) 845401
15	बेतिया (प०चम्पारण)	एम0जे0के0 कॉलेज, बेतिया (प०चम्पारण) – 845438
16	सासाराम (रोहतास)	एस0पी0जैन कॉलेज, सासाराम (रोहतास) – 821115
17	भभुआ (कैमूर)	एस0भी0पी0कॉलेज, भभुआ (कैमूर) 821101
18	बक्सर	एम0भी0 कॉलेज, बक्सर–802101
19	किशनगंज	मारवाड़ी कॉलेज, किशनगंज – 855107
20	अररिया	अररिया कॉलेज, अररिया – 854311
21	लखीसराय	के0एस0एस0 कॉलेज, लखीसराय – 811311
22	नालंदा (बिहारशरीफ)	नालंदा कॉलेज, नालंदा (बिहारशरीफ)–803101
23	सीतामढ़ी	श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज, सीतामढ़ी–843302

24	सुपौल	भारत सेवक समाज कॉलेज, सुपौल – 852131
25	सिवान	जे०आर०एस० महाविद्यालय, विदुरूद्वीन हाता, सिवान–841226
26	शेखपुरा	रामधीन महाविद्यालय, शेखपुरा–811105
27	गोपालगंज	वी०एम० इंटर कॉलेज, गोपालगंज– 841427
28	जमुई	एस०ए० एकलव्य कॉलेज, जमुई –811307
29	समस्तीपुर	बी०आर०बी० कॉलेज, समस्तीपुर –848101
30	बांका	पी०बी०एस० कॉलेज, बांका –813102
31	बेगूसराय	गणेश दत्त कॉलेज, बेगूसराय – 851101
32	नवादा	के० एल० एस० कॉलेज, नवादा – 805110
33	खगड़िया	कोशी कॉलेज कॉलेज, खगड़िया – 851205
34	औरंगाबाद	एस० एन० सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद – 824101
35	जहानाबाद	एस० एस० कॉलेज, जहानाबाद – 804408
36	कटिहार	डी0एस0 कॉलेज, कटिहार–854105
37	पटना–2	ए0एन0 कॉलेज, पटना –800013
38	नालंदा–2	गवर्मेंट डिग्री कॉलेज राजगीर–803116

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, कैमूर

13. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजनाः–

''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना'' पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से संचालित है। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ–साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में कुल 81 प्रशिक्षण केन्द्रों में 4162 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा ऐनालिटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म एवं हॉस्पीटेलिटी, एयर होस्टेस, फ्लाईट अटेंडेंट एवं ग्राउण्ड स्टाफ आदि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी चालू वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

जैविक विज्ञान केन्द्र, रोहतास (सासाराम)

14. मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गतः–

वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा– कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा– क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की

निःशुल्क तैयारी कराने हेतु ''मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना'' संचालित करने, योजना हेतु दिशा–निर्देश, पदों के सृजन एवं योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 45,69,400/– (रू0 पैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत Lalit Narayan Mishra Economic Development and Social Change Bihar, Patna में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु एक ''व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र''के संचालन, दिशा–निर्देश एवं केन्द्र संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 24,54,700/– (रू0 चौबीस लाख चौवन हजार सात सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त केन्द्र के संचालन की अवधि को विस्तारित करते हुए वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा – NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विश्वविद्यालयों में एक–एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों में दो केन्द्र अर्थात कुल सात व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र के संचालन, दिशा–निर्देश एवं केन्द्र के संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 1,71,82,900/–(एक करोड़ इकहत्तर लाख बयासी हजार नौ सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त केन्द्र के संचालन की अवधि को विस्तारित करते हुए वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत कुल 10 केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, वर्तमान में सभी 10 केन्द्र संचालित है। वर्तमान में कुल 1200 नामांकन क्षमता के विरूद्ध कुल 1035 छात्र/छात्राएं नामांकित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 तथा 2023–24 में क्रमशः 62 तथा 81 अर्थात कुल–143 छात्र/छात्रा मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्रों से सफल हुए है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण योजना/कौशल विकास/ मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना/छात्रवृत्ति मोनेटरिंग/पुस्तकालय–सह–उत्प्रेरण मद के अंतर्गत कार्यालय व्यय मद में रू0 15.00 करोड़ तथा संविदा सेवाएँ मद में रू0 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

DETAILS OF CAREER GUIDANCE CENTRE		
Financial Year : 2024-25		
SL NO	CAREER GUIDANCE CENTRE	VENUE
1	*2*	*3*
1	**Patna University, Patna**	Dept. of PMIR, Darbhanga House , Patna University, Patna - 800005
2	**Patliputra University, Patna**	Kautilya Bhawan, College of Commerce ,Arts & Science, Patnma - 800020
3	**Dr. BR Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur**	PG Dept. of Hindi, Dr. BRA Bihar University, Muzaffarpur - 840001
4	**Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur**	PG Dept. of Psychology, TM Bhagalpur University, Bhagalpur - 812007
5	**Lalit Narayan Mishra University, Darbhanga**	Dept. of History, CM College, Darbhanga - 846004
6	**BN Mandal University, Madhepura**	Old PG Dept. of Hindi, BN Mandal University, Madhepura- 852113
7	**Magadh University, Bodh Gaya**	
8	**Chandragupta Institute of Management, Patna**	Chandragupta Institute of Management, Mithapur Industrial Area,Patna - 800001
9	**Chanakya National Law University, Patna**	Chanakya National Law University,Naya Nagar, Mithapur, Patna - 800001
10	**Lalit Narayan Mishra Institute of Economic Development & Social Change, Patna**	Lalit Narayan Mishra Institute of Economic Development & Social Change,I, Jawahar Lal Nehru Marg, Patna - 800001

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन इकाई है, जिसकी स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन वर्ष 1993 (17.06.1993) में की गई है। इस निगम का मूल उद्देश्य राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों का आर्थिक उत्थान किया जाना है। यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार का चैनेलाईजिंग एजेन्सी है।

निगम के मूल उद्देश्य :–

(1) पिछड़े वर्ग के सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिए आर्थिक विकास की योजना लेना।

(2) आर्थिक विकास की योजनाओं हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मापदंडों के आधार पर पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को तकनीकी तथा वित्तीय योजनाओं हेतु ऋण मुहैया किया जाना।

(3) पिछड़े वर्ग के सदस्यों के तकनीकी / प्रोफेशनल शिक्षा के लिए ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना तथा समय–समय पर ट्रेनिंग आदि देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।

वर्तमान में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा विभागीय योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–146 दिनांक–22.01.2024 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल 07 नए पदों – (i) महाप्रबंधक, उद्यम एवं कौशल विकास (ii) उप महाप्रबंधक, वित्त एवं योजना प्रबंधक (iii) उप महाप्रबंधक, उद्यम विकास एवं कौशल विकास (iv) प्रबंधक, वित्त (v) प्रबंधक, उत्पादकता एवं वित्त पोषण (vi) प्रबंधक, वसूली एवं नियंत्रण (vii) प्रबंधक, कौशल विकास का सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के माध्यम से संचालित की जा रही विभागीय योजनाएँ :–

1. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना :–पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0 / बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। योजना के तहत राज्य में सभी स्वीकृत 38 केन्द्र संचालित है। योजनान्तर्गत अबतक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अबतक कुल 24,267 छात्र / छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

2. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना:– ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना'' पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर

उठाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 से संचालित है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में कुल 81 प्रशिक्षण केन्द्रों में 4162 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ–साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

3. मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना :– पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा–प्रबंधन, विधि आदि की तैयारी एवं संबंधित रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में भागीदारी बढ़ाने हेतु NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की तैयारी निःशुल्क करायी जाती है। योजनान्तर्गत अबतक 10 केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है। वर्तमान में सभी 10 केन्द्र संचालित है।

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग